भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2488

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

कारपोरेट दिवाला समाधान में विलंब

2488. श्री अरुण नेहरूः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत लंबित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं (सीआईआरपी) की संख्या कितनी है तथा उनके समाधान में लिया गया औसत समय कितना है;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय लगा है और इसके लिए चिह्नित किए गए कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऋण प्रदाताओं द्वारा की जाने वाली वसूली और संकटग्रस्त आस्तियों के मूल्य से संबंधित समाधान में विलंब के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दिवाला संबंधी कार्यवाही के त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत विलंब को कम करने तथा दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से हाल ही में किए गए सुधारों के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): दिनांक 31 मार्च, 2026 तक, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत 1885 कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएँ (सीआईआरपी) जारी थीं। इनमें से 1367 सीआईआरपी ने 330 दिनों की सांविधिक समय-सीमा को पार कर लिया था।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, आईबीसी के अंतर्गत कुल 1,077 मामलों में समाधान योजनाएँ तैयार की गई हैं। उनके समाधान में लगा औसत समय [न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एए) द्वारा अपवर्जित अवधि को छोड़कर] का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**अवधि**	**औसत समाधान अवधि (दिनों में) (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (कक) द्वारा अपवर्जित अवधि को छोड़कर)**
1.	वित्तीय वर्ष 2021-2022	553
2.	वित्तीय वर्ष 2022-2023	658
3.	वित्तीय वर्ष 2023-2024	705
4.	वित्तीय वर्ष 2024-2025	718
5.	वित्तीय वर्ष 2025-2026	751

प्रत्येक मामले के समाधान में लगने वाला समय उस मामले की परिस्थितियों एवं जटिलता, साक्ष्यों की प्रकृति, अंतरिम आवेदनों (आईए) की संख्या, उच्च न्यायालयों द्वारा लगाए गए स्थगन, हितधारकों के सहयोग तथा स्थगनों आदि पर निर्भर करता है।

(ग): भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, (आईबीबीआई) द्वारा समाधान में लगने वाले समय तथा लेनदारों की वसूली पर उसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए एक अध्ययन कराया गया था। अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि जैसे-जैसे समाधान की समय-सीमा बढ़ती है, वैसे-वैसे वसूली में कमी आती है।

(घ): राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए रिक्तियों को भरना, ई-न्यायालय एवं हाइब्रिड न्यायालय परियोजना का कार्यान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण हेतु नियमित संगोष्ठियों का आयोजन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान आदि सहित आवश्यक कदम निरंतर उठाए जाते हैं।

(ङ): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 का उद्देश्य संहिता के क्रियान्वयन में सुधार करना, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाना, विधायी आशय को स्पष्ट करना तथा संहिता में नवीन अवधारणाओं को समाविष्ट करना है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 को सरकार द्वारा 6 अप्रैल, 2026 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत आईबीसी के अंतर्गत विलंब को कम करने तथा कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं:-

(i) आईबीबीआई (शिकायत एवं परिवाद निस्तारण प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026
(ii) आईबीबीआई (निरीक्षण एवं अन्वेषण) (संशोधन) विनियम, 2026
(iii) आईबीबीआई (सूचना उपयोगिताएँ) (संशोधन) विनियम, 2026
(iv) आईबीबीआई (पूर्व-पैकजित दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026
(v) आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026
(vi) आईबीबीआई (कारपोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं की दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026
(vii) आईबीबीआई (कारपोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं की दिवालियापन प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026।
(viii) आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2026।
(ix) आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026

******